झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (शि0) गढ़वा / PDS(Card)–96 / 2022 - 753

प्रेषक,

शबनम परवीन
प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 27.12.2024

विषयः– **गढ़वा जिला अन्तर्गत भण्डरिया प्रखण्ड के ग्राम बिजका के 45 परिवारों को 12 माह से राशन नहीं मिलने से संबंधित परिवाद पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत भण्डरिया प्रखण्ड के ग्राम बिजका के 45 परिवारों को 12 माह से राशन नहीं मिलने से संबंधित परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादी श्रीमती अपूर्वा गुप्ता एवं श्री अशर्फी नन्द प्रसाद, Right to food campaign, Jharkhand द्वारा समर्पित परिवाद पत्र के अनुसार उक्त गांव के लाभुकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय बताई गई है। परिवाद पत्र में 11 वर्षीय अनाथ बच्ची जमदीरिया कुमारी, राशन कार्ड सं0–202000202973 को भी विगत 12 माह से राशन प्राप्त नहीं होने का उल्लेख करते हुए उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय बतायी गई है। इसके अतिरिक्त इसी संबंध में आयोग को विभिन्न मोबाईल नम्बरों से व्हाटसएप्प के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है।

उल्लेखनीय है कि उक्त से संबंधित परिवाद पूर्व में दिनांक–19.06.2024 को आयोग के व्हाटसएप्प नम्बर पर प्राप्त हुआ था जिसमें बिजका गांव के 45 कार्डधारियों को 6 माह से राशन नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया था। उक्त मामले में आयोग के पत्रांक–WA/494/2024 दिनांक–20.06.2024 द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु अपर समाहर्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को भी प्रेषित की गई थी। कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण पुनः आयोग के पत्रांक–606 दिनांक–13.08.2024 द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को स्मार पत्र प्रेषित किया गया। तथापि कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त है।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली 2015 के नियम 14 (4) में प्रत्येक वाद पर सुनवाई न्यूनतम दो सदस्यीय बेंच द्वारा किये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में आयोग का अध्यक्ष पद रिक्त है एवं एक मात्र सदस्य के रूप में अधोहस्ताक्षरी कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में आयोग स्तर पर सुनवाई सम्भव नहीं है।

परिवाद पत्र में लगाये गये आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है। अतः उपरोक्त मामले में आयोग को प्राप्त परिवाद पत्रों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Sp
27.12.24

(शबनम परवीन)
प्रभारी अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Dropbox Files\Anju\Vinod Sir.docx984

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com